निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 466) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2009

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
3 सितम्बर 2009

सं० एल0जी0-1-08/2009/लेज-61—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 1 सितम्बर 2009 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव ।

(बिहार अधिनियम 9, 2009)
बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009

प्रस्तावना – बिहार भूमि न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम।

चूँकि, बिहार राज्य में विभिन्न न्यायालयों के समक्ष बड़ी संख्या में भूमि विवाद लम्बित हैं तथा भूमि से सम्बन्धित बड़ी संख्या में लम्बित विवादों के कारण व्यवहार न्यायालय सहित वर्त्तमान संयंत्र अत्यधिक बोझिल है;

चूँकि, भूमि पर अधिकार, स्वामित्व तथा दखल बिहार राज्य में प्रचलित विभिन्न भूमि विधियों के द्वारा विनियमित होता है;

चूँकि, विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए विभिन्न भूमि विधियों में विभिन्न न्यायालयों का प्रावधान किया गया है;

चूँकि, राज्य सरकार के सामने न्यायिक संयंत्र की बहुलता एवं विवादों के समाधान में विलम्ब से उत्पन्न संश्लिष्टताएँ आ रही हैं;

चूँकि, राज्य सरकार विभिन्न भूमि अधिनियमों के तहत विवादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराने के लिए प्रयत्नशील है;

चूँकि, एक सामान्य न्यायनिर्णयन संकाय के अभाव में राज्य की जनता को अपनी शिकायतों के निराकरण में अकारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

चूँकि, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अध्याय XIII में बिहार भूमि सुधार न्यायाधिकरण के गठन से सम्बन्धित प्रावधानों में वैसे संशोधन तथा क्षेत्राधिकार में वैसे विस्तार की आवश्यकता है, जैसा उपयुक्त समझा जाए;

चूँकि, भारत के संविधान ने अनुच्छेद–323–बी के तहत उपयुक्त विधानमंडल को खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट सभी या किसी मामले से सम्बन्धित किसी विवाद, शिकायत या अपराध पर न्यायाधिकरणों के द्वारा न्यायनिर्णय या विचारण का विधि द्वारा प्रावधान करने का क्षेत्राधिकार सौंपा है;

चूँकि, व्यापक सार्वजनिक हित में तथा राज्य की जनता के हित में, यह आवश्यक समझा जाता है कि बिहार राज्य में भूमि से सम्बन्धित सभी विवादों के न्यायनिर्णय का एक समेकित न्यायिक मंच सृजित किया जाय;

चूँकि, विवादों के न्यायनिर्णय के लिए एक सामान्य तथा एकरूप मंच का प्रावधान करने के दृष्टिकोण से सोपान श्रृंखला के उच्चतम स्तर पर एक न्यायाधिकरण का सृजन आवश्यक है;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्न लिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं ।— इस अधिनियम में, जबतक प्रसंगवश अन्यथा आवश्यक न हो, धारा–9 (1) में सन्दर्भित अधिनियमों/हस्तकों में उपबन्धित परिभाषाएं लागू रहेंगी।

3. विशेष परिभाषाएं ।— इस अधिनियम में, जबतक प्रसंगवश अन्यथा आवश्यक न हो :–

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बिहार भूमि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष।

(ख) "सदस्य" से अभिप्रेत है बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्य।

(ग) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–4 के तहत गठित न्यायाधिकरण।

4. बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन ।— (1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, राज्य सरकार राज्य के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजनों से, बिहार भूमि न्यायाधिकरण (जिसे एतद् अनन्तर न्यायाधिकरण कहकर सन्दर्भित किया जाएगा) के नाम से एक न्यायाधिकरण गठित करेगी।

(2) न्यायाधिकरण में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष एवं न्यायिक तथा प्रशासनिक धाराओं से लिये गये अन्य सदस्य होंगे जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी :

परन्तु, राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायाधिकरण के कुल सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा कर सकती है।

5. अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।— (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रह चुका हो, या उसके लिए योग्य नहीं हो, या उसने लगातार कम–से–कम बीस वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वकालत नहीं की हो।

(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह;

(क) जिला न्यायाधीश नहीं हो, या नहीं रह चुका हो तथा समकक्ष पद को कम–से–कम तीन वर्षो तक धारित नहीं किया हो; या उसने लगातार कम–से–कम पन्द्रह वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में वकालत नहीं की हो, या

(ख) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं हो ।

(3) कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसने या तो (क) अथवा (ख) में कुल मिलाकर कम–से–कम एक वर्ष की अवधि के लिएः–

(क) सदस्य/अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार का पद धारित नहीं किया हो, या

(ख) बिहार सरकार के प्रधान सचिव/सचिव के अन्यून पद धारित नहीं किया हो तथा बिहार सरकार में अपने सेवा काल में अपीलीय/रिवीजनल न्यायिक हैसियत में भूमि सुधार मामलों का निष्पादन नहीं किया हो।

(4) अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में हुई कोई रिक्ति सरकार के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भरी जाएगी।

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें ।— (1) कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 70 वर्षों की आयु प्राप्त कर ली है अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, अथवा कार्यरत नहीं रह सकता है। अध्यक्ष तथा किसी सदस्य का कार्यकाल पाँच साल या उनकी 70 वर्षों की आयु, जो भी पहले हो, होगा।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्यों को यथाविहित वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जा सकेगा।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्यों की अन्य सेवा शर्तें यथा विहित रहेंगी।

7. पदत्याग एवं हटाया जाना ।— (1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित लिखित सूचना के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है :

परन्तु, अध्यक्ष या सदस्य, जब तक उसको राज्य सरकार द्वारा पहले पदत्याग करने की अनुमति नहीं दी जाए, ऐसी सूचना प्राप्ति के तीन माह व्यतीत होने तक पद पर बना रहेगा या जब तक उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति उसका पद धारित करता है, या उसकी पदावधि जब तक रहे, जो भी पहले हो।

(2) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा जाँच, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य को आरोपों की सूचना दे दी गयी थी और सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था, के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्य सरकार के आदेश के बिना, अपने पद से हटाया नहीं जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार उप–धारा (2) में संदर्भित अध्यक्ष या अन्य सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जाँच की प्रक्रिया को नियमों/अनुदेशों के द्वारा विनियमित कर सकेगी।

8. न्यायाधिकरण का सेविवर्ग ।— (1) राज्य सरकार न्यायाधिकरण के कार्यो के निष्पादन में सहायता देने के लिए आवश्यक पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों की प्रकृति और श्रेणियों को निर्धारित कर सकेगी तथा जैसा वह उचित समझे ऐसे पदाधिकारी और अन्य कर्मी न्यायाधिकरण को उपलब्ध कराएगी।

(2) न्यायाधिकरण के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अन्तर्गत अपने कार्यो का निर्वाह करेंगे।

(3) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें वैसी होंगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों में विनिर्दिष्ट किया जा सके।

9. न्यायाधिकरण की शक्तियाँ ।— (1) न्यायाधिकरण को निम्नांकित अधिनियमों/हस्तकों के सम्बन्ध में उचित अधिकारियों द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश पारित होने के 90 दिनों के अन्दर, आवेदन प्राप्त करने की शक्ति होगी :

(i) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961

(ii) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950

(iii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885

(iv) बिहार जोतों की चकबन्दी एवं विखंडन निवारण अधिनियम, 1956

(v) बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973

(vi) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954

(vii) बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टेड टिनेन्सी एक्ट, 1947

(viii) बिहार गर्वेनमेंट इस्टेट्स हस्तक, 1953

(ix) बिहार बन्दोबस्त हस्तक

राज्य सरकार यथा उपर्युक्त सूची में अथवा सूची से किसी भी अधिनियम को जोड़ या हटा सकेगी।

(2) इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण बिहार सरकार अथवा, पटना उच्च न्यायालय के स्तर से स्थानान्तरित किसी अन्य प्रचलित राजस्व या भूमि सुधार अधिनियम/हस्तक से सम्बन्धित वाद का न्यायनिर्णयन भी कर सकेगा।

(3) न्यायाधिकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम v) के तहत अवमानना के लिए दण्डन की अनुशंसा सहित व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ विहित होंगी।

10. न्यायाधिकरण की प्रक्रिया ।— (1) इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बने नियमों के अध्यधीन, न्यायाधिकरण, आदेश के द्वारा, अपनी कार्यपद्धति तथा प्रक्रिया को नियमित कर सकेगा।

(2) न्यायाधिकरण के कृत्यों का निष्पादन :–

(i) अध्यक्ष तथा न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य की पीठ के द्वारा, या

(ii) अध्यक्ष द्वारा गठित न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य की पीठ के द्वारा, या

(iii) ऐसे मामले, जहाँ अध्यक्ष उचित समझे, अध्यक्ष द्वारा नामित एकल सदस्य, के द्वारा; किया जाएगा।

स्पष्टीकरण ।— खंड (iii) में सन्दर्भित एकल सदस्य या तो अध्यक्ष या कोई और सदस्य हो सकते हैं :

परन्तु यदि किसी एकल सदस्य (जो अध्यक्ष नहीं हैं) या किसी पीठ (जिसमें अध्यक्ष सदस्य नहीं हैं), के समक्ष विचाराधीन, ऐसे किसी मामले में जिसमें विधि का प्रश्न निहित है, तब ऐसा एकल सदस्य या पीठ अपने स्वविवेक से एक ऐसी पीठ जिसके सदस्य अध्यक्ष होंगे के द्वारा विचारण के लिए वैसे मामले को सुरक्षित कर सकेगा।

(3)(क) जहाँ किसी आवेदन की सुनवाई अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों की पीठ के द्वारा की गयी हो तथा किसी विन्दु पर सदस्यों के विचार भिन्न–भिन्न हों, तब उक्त विन्दु को बहुमत विचार के अनुसार निर्णीत किया जाएगा।

(ख) यदि किसी आवेदन की सुनवाई दो सदस्यों की एक पीठ के द्वारा की गई हो तथा किसी विन्दु पर अपनी धारणा में सदस्य विभाजित हों, वह विन्दु निर्णय हेतु अध्यक्ष को सन्दर्भित किया जायेगा जो या तो स्वयं सुनवाई एवं न्यायनिर्णय कर सकेगा या किसी अन्य सदस्य को सुनवाई एवं न्यायनिर्णय के लिए प्रदत्त करेगा एवं ऐसे न्यायनिर्णय पर अध्यक्ष या सदस्य, जिसे अध्यक्ष ने वह विन्दु प्रदत्त किया है, का विचार, उस मूल आदेश में, जिसमें धारणा का मतान्तर उठा है, बहुमत विचार बनेगा।

11. न्यायाधिकरण के आदेश के पुनर्विलोकन की शक्ति ।— न्यायाधिकरण को अपने आदेश में कोई शुद्धि करने की शक्ति और क्षेत्राधिकार रहेगा :

परन्तु न्यायाधिकरण को अपने आदेश के पुनर्विलोकन या पुनर्विचारण का तथा नया आदेश पारित करने की शक्ति नहीं रहेगी।

12. न्यायाधिकरण के आदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति ।— कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण द्वारा निर्गत या दिए गए सम्मन, बाध्यता, निदेश या आदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर विफल रहता है, तो वह 6 माह तक विस्तारित कारावधि या 5,000(पाँच हजार) रूपए तक के अर्थदंड या दोनों से, दण्डनीय होगा।

13. संज्ञान तथा अपराधों की सुनवाई ।— (1) न्यायाधिकरण के द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दर्ज शिकायत के अभाव में कोई भी न्यायालय धारा–12 में दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी का न्यायिक दण्डाधिकारी इस धारा के तहत अपराधों की सुनवाई करेगा।

14. अभिलेख मँगाने की न्यायाधिकरण की शक्ति ।— (1) न्यायाधिकरण, स्वतः या आवेदन–पत्र मिलने पर, इस अधिनियम से सम्बन्धित अधिनियमों/हस्तकों में विहित मूल, अपीलीय या रिवीजनल प्राधिकार द्वारा निष्पादित किसी कार्यवाही के अभिलेख को मँगा सकेगा तथ उसे ऐसी कार्यवाही की नियमितता या उसमें लिए गए किसी निर्णय या पारित किसी आदेश की परिशुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच कर सकेगा एवं यदि न्यायाधिकरण को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई निर्णय या आदेश संशोधित या निरस्त होना चाहिए या पुनर्विचारण के लिए सुरक्षित या प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए, वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगा :

परन्तु न्यायाधिकरण अपने स्वतः प्रेरणा के क्षेत्राधिकार का प्रयोग आदेश के तीन वर्षों के बाद की अवधि में नहीं करेगाः

परन्तु किसी क्षुब्ध पक्ष के द्वारा दायर आवेदन पत्र पर उप–धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी उपलब्ध रहेगा जब ऐसा आवेदन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के समय को छोड़कर, आदेश की तिथि से 90 दिनों के अन्दर दायर किया गया हो :

परन्तु, यह भी कि न्यायाधिकरण विहित अवधि व्यतीत हो जाने पर भी किसी आवेदन को प्रविष्ट कर सकेगा, यदि वह सन्तुष्ट हो कि सम्बन्धित पक्षकार के द्वारा विहित अवधि में उसे दायर न कर सकने का पर्याप्त कारण है।

(2) उप–धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के हितों के विरूद्ध कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकेगा, जबतक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।

15. पटना उच्च न्यायालय/राज्य सरकार में लम्बित कार्यवाहियों का न्यायाधिकरण में स्थानान्तरण ।— इस अधिनियम की धारा–9 में उल्लिखित अधिनियमों/हस्तकों से सम्बन्धित सारे वाद, जो पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन हों परन्तु जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 तथा 227 के तहत दायर रिट याचिकाएँ शामिल नहीं हों, तथा राज्य सरकार के समक्ष लम्बित वाद जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से, ऐसा मानते हुए कि वे इस न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में हो सकते थे, तथा ऐसे वाद जो यह अधिनियम प्रवृत्त होने के बाद इसी न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में होते, यथोक्त प्रवृत्त होने की तिथि से, न्यायाधिकरण में स्थानान्तरित हो जाएंगे।

परन्तु यह भी कि अपने समक्ष किसी रिट कार्यवाही में न्यायनिर्णय के लिए लम्बित विवाद को न्यायाधिकरण के न्यायनिर्णय के लिए अन्तरित करने के लिए पटना उच्च न्यायालय स्वतन्त्र रहेगा।

16. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना ।— इस अधिनियम के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या परम्परा या प्रचलन, जिन्हें विधि की अनुशक्ति हो, संविदा या किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश में, इन प्रावधानों से अननुकूल कुछ भी होने के बावजूद, अभिभावी होंगे।

17. निदेश देने की शक्ति ।— राज्य सरकार इस अधिनियम को प्रभावी करने के प्रयोजन से सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी, प्राधिकार या व्यक्ति को यथोचित निदेश निर्गत करने में सक्षम होगी।

18. अधिकारिता का वर्जन ।— इस अधिनियम में जहाँ स्पष्टतया अन्यथा उपबन्धित न हो, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय को छोड़कर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के तहत किसी प्राधिकार द्वारा पारित किसी आदेश या लिए गए निर्णय को निरस्त, संशोधित या उसकी वैधता को प्रश्नगत करने वाले या न्यायाधिकरण के दायरे में पड़ने वाले किसी मामले से सम्बन्धित किसी वाद या कार्यवाही पर विचारण नहीं करेगा।

19. सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण ।— इस अधिनियम के तहत या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के तहत सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभीप्सित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाहियाँ दायर नहीं की जाऐगी।

20. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति ।— यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में आदेश के द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों और प्रावधानों के अननुकूल, यथोक्त कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक तथा उपयुक्त प्रतीत होने वाले प्रावधान कर सकेगी।

21. नियमावली निर्मित करने की शक्ति ।— इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए सरकार अधिसूचना के द्वारा नियमावली निर्मित कर सकेगी।

22. निरसन ।— इस अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 अध्याय–*xiii* के सम्बन्धित प्रावधानों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव ।

---

3 सितम्बर 2009

सं०एल0जी0–1–08/2009/लेज–62।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2009 को अनुमत बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव ।

(Bihar Act 9, 2009)

The Bihar Land Tribunal Act, 2009

AN

ACT

Preamble :-To make Provisions for The Bihar Land Tribunal.

WHEREAS, disputes relating to land pending before different forums in the State of Bihar are huge in number and the present machinery including Civil Court is over burdened because of pendency of huge number of disputes relating to land;

WHEREAS, right, title and possession over land is regulated under various land laws operating in the State of Bihar;

WHEREAS, the different forums under different land laws have been provided for adjudication of disputes;

WHEREAS, the State government is faced with complexities arising out of the multiplicity of adjudicating machinery and delay in the settlement of disputes;

WHEREAS, the State government strives to ensure speedy disposal of disputes under various land laws;

WHEREAS, in the absence of a common adjudicatory body, the people of the State are faced with undue hardship in getting their grievance redressed;

WHEREAS, there is mandate to constitute a tribunal under Chapter XIII of Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961, with such modification and with such enlargement of jurisdiction as may be deemed expedient;

WHEREAS, the Constitution of India has conferred jurisdiction under Article 323B on appropriate legislature, to provide for adjudication or trial by Tribunals, by law, of any dispute, complaints or offences with respect to all or any of the matters specified in clause (2) with respect to which such legislature has power to make laws;

WHEREAS, in larger public interest and in the interest of the people of the State, it is deemed expedient to create a consolidated forum for adjudication of all disputes appertaining to land in the State of Bihar;

WHEREAS, with a view to provide a common and uniform forum for adjudication of disputes, it is necessary to create a Tribunal at the highest level in the hierarchy;

BE, it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixtieth year of Republic of India, as follows:-

1. *Short title, extent and commencement* .— (1) This Act may be called the Bihar Land Tribunal Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification, appoint.

2. *Definitions.*— In this Act, unless the context otherwise requires, the definitions provided in the Acts/Manuals referred to in Section- 9 (1) shall prevail.

3. *Special Definitions.*— In this Act, unless the context otherwise requires :-

(*a*) "Chairman" means the Chairman of the Bihar Land Tribunal.

(*b*) "Member" means Member of the Bihar Land Tribunal.

(*c*) "Tribunal" means Tribunal constituted under Section- 4 of this Act.

4. *Constitution of the Bihar Land Tribunal.*—- (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute for the State a Tribunal called the Bihar Land Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal) for the purposes of this Act.

(2) The Tribunal shall consist of a Chairman and not more than four other Members from judicial and administrative wing appointed by the State Government.

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, increase or decrease the total number of Members of the Tribunal.

5. *Qualifications for appointment of Chairman or other Members.*— (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairman unless he is, or has been, or is qualified to be a Judge of a High Court, or has practiced as an advocate continuously for not less than twenty years in Any High Court.

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judicial Member unless he:

(a) is or has been, a District Judge and has held the post in that rank for at least three years, or has practised as an advocate continuously for not less then fifteen years.

(b) is qualified to be appointed as a Judge of a High Court.

(3) A person shall not be qualified for appointment as an Administrative Member unless he:

(a) has held the post of Member/ Additional Member, Board of Revenue, Bihar, or

(b) has held the post not below the rank of Principal Secretary/ Secretary to the Govt. of Bihar and has dealt with Land Reforms matters during his services in the Bihar Government in the capacity of Appellate/ Revisional Authority:

for a period of not less than one year in either (a) or (b), in the aggregate.

(4) Any vacancy in the office of the Chairman or any Member shall be filled by the Government in accordance with the provisions of this Act.

6. Terms and conditions of the service of Chairman and Members .— (1) No person shall be appointed or shall continue in the office of the Chairman and Member if he has attained the age of seventy years. The terms of the Chairman and the Members shall be five years or till they attain the age of 70, whichever is earlier.

(2) There shall be paid to the Chairman and the Members such salaries and allowances as may be prescribed.

(3) The other terms and conditions of the service of the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

7. *Resignation and removal* .— (1) The Chairman or other Member may, by notice in writing under his hand addressed to the State Government resign his office.

Provided that the Chairman or other Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon his office or until the expiry of his term of office, whichever is the earliest.

(2) The Chairman or any other Member shall not be removed from his office except by an order made by the State Government on the ground of proved misbehavior or incapacity after an enquiry made by a Judge of the High Court in which such Chairman or other Member had been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard.

(3) The State Government may, by rules/instructions regulate the procedure for the enquiry of misbehavior or incapacity of the Chairman or other Member referred to in sub - section (2).

8. *Staff of the Tribunal* .— (1) The State Government shall determine the nature and categories of the officers and other employees required to assist the Tribunal in the discharge of its functions and provide the Tribunal with such officers and other employees as it may think fit.

(2) The officers and other employees of the Tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the Chairman.

(3) The salaries and allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Tribunal shall be such as may be specified by rules made by the State Government.

9. *Powers of the Tribunal* .— (1) The Tribunal shall have the power to entertain any application against the final order passed by the Appropriate Authorities under the Acts/Manuals, mentioned below, within 90 days of such an order provided no other forum of appeal or revision against the order passed is provided in that Act/ Manuals:

(i) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961

(ii) The Bihar Land Reforms Act, 1950

(iii) The Bihar Tenancy Act, 1885

(iv) The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956

(v) The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

(vi) The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954

(vii) The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947

(viii) The Bihar Government Estates Manual, 1953

(ix) The Bihar Settlement Manual

It shall be open to the State Government to add or remove any Law/ Manual in or from the list hereinfore mentioned.

(2) In addition, the Tribunal shall decide any case transferred to it by the Government of Bihar or by the Hon'ble High Court of Judicature at Patna with regard to any other revenue or land reforms Law/ Manual for the time being in force.

(3) The Tribunal shall have powers vested in the Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) including the power to recommend to punish for Contempt of Court.

10. *Procedure of the Tribunal* .— (1) Subject to the provisions of the Act or any rule made thereunder, the Tribunal may, by order, regulate its practice and procedure.

(2) The functions of the Tribunal shall be discharged:-

(i) by a bench consisting of the Chairman and Judicial and Administrative Member, or

(ii) by a bench consisting of Judicial and Administrative Member constituted by the Chairman; or

(iii) by a single Member, nominated in this behalf by the Chairman, in such cases, as he deems fit.

Explanation .— The single Member referred to in clause (iii) may be either the Chairman or any other Member:

Provided that if any case, which comes up before a single Member (who is not the Chairman) or a bench (of which the Chairman is not a member) involves a question of law, such single Member or bench in his or its discretion reserve such case for decision by a bench of which the Chairman shall be a member.

(3)(*a*) Where an application is heard by a bench consisting of the Chairman and two other Members and the Members differ in opinion on any point, the point shall be decided in accordance with the opinion of the majority.

(*b*) Where an application is heard by a bench consisting of two Members and the Members are divided in their opinion on any point, the point shall be referred for decision to the Chairman who may either himself hear and adjudicate or may assign it to any other Member to hear and adjudicate and on such adjudication the view of the Chairman or Member to whom the Chairman has assigned the point shall form majority view alongwith original order wherein difference of opinion has arisen.

11. *Power to review the order of the Tribunal.—* The Tribunal shall have the power and jurisdiction to make any correction in its order.

Provided, the tribunal shall not have the power to review and reconsider its order and pass a fresh order.

12. *Penalty for the contravention of the orders of the Tribunal.—* Any person who wilfully fails to comply with any summons, requirement, direction or order issued or made by the Tribunal, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five thousand rupees or both.

13. *Cognizance and trial of offences .—* (1) No Court shall take cognizance of an offence punishable under section -12, save on a complaint made by any officer empowered by the Tribunal in this behalf.

(2) A Judicial Magistrate of the first class shall try an offence under this section.

14. *Power of the Tribunal to call for record .—* (1) The Tribunal may, on its own motion or on an application, call for and examine any record of any proceedings disposed off by an original, appellate or revisional authority prescribed in the respective laws/manuals covered by this Act to satisfy itself as to the regularity of such proceeding or correctness or legality or propriety of any decision taken or order passed therein, and if, in any case, it appears to the Tribunal that any such decision or order should be modified, annulled, or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the Tribunal shall not exercise its suo motu jurisdiction beyond the period of three years from the order;

Provided that the exercise of jurisdiction by the Tribunal under sub-section (1) on an application filed by any aggrieved party shall be available only when such application is preferred within 90 days from the order excluding the time taken in obtaining certified copy of the order;

Provided further that the Tribunal may admit an application after the expiration of the prescribed period if it is satisfied that the party concerned had sufficient cause for not presenting it within such period.

(2) No order prejudicial to any person shall be passed under sub-section (1) unless such person has been given an opportunity of being heard.

15. *Transfer of proceedings pending in Patna High Court/State Government to the Tribunal .—* All cases connected with the Acts/Manuals dealt with under Section- 9 of this Act

and pending in the High Court of Judicature at Patna but excluding writ petitions filed under Articles 226 and 227 of the Constitution of India and cases pending with the State Government, immediately before the commencement of this Act, as could have been within the jurisdiction of such Tribunal, and cases arising after the commencement of this Act, as would have been within the jurisdiction of such Tribunal, shall stand transferred to the Tribunal with effect from the said date of commencement :

Provided further that it shall be open to the High Court of Judicature at Patna to remit the dispute pending adjudication in any writ proceeding before it for adjudication by the Tribunal.

16. *Act to override other laws.—* The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, or any customs or usage having the force of law or contract or judgment, decree or order of a court or any other authority.

17. *Power to give directions.—* For the purpose of giving effect to the provisions of this Act, it shall be competent for the State Government to issue such directions as they may deem fit to any officer, authority or person subordinate to the Government.

18. *Bar of Jurisdiction.*— Save as otherwise expressly provided in this Act, no court, except the Patna High Court and the Supreme Court of India, shall entertain any suit, or other proceeding to set aside, or modify or question the validity of an order or decision passed or taken by an authority under this Act or any rules made thereunder or in respect of any matter falling within the scope of the Tribunal.

19. *Protection of action taken in good faith.—* No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done.

20. *Power to remove difficulties.—* If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order in the Bihar Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes or provisions of this Act as appear to them to be necessary or expedient to remove the difficulty.

21. *Power to make rules.*— The Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

22. *Repeals* .— In view of the provisions of this Act the related provisions of Chapter-XIII of the Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 are hereby repealed.

By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 466-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in